



भारत सरकार

कार्यालय आयकर आयुक्त(छूट),  
आयकर भवन, 5, आशोक मार्ग, लखनऊ।

ट्रस्ट/संस्थान का नाम : मेधा लर्निंग फाउण्डेशन,  
पता : 407, डॉ० बैजनाथ रोड, न्यू हैदराबाद, लखनऊ, (उ०प्र०)  
पैन : AAHCM3187E  
आदेश तिथि : 28.12.2015

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(vi) के अन्तर्गत अनुमोदन

आयकर अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत उपरोक्त ट्रस्ट का पंजीकरण दिनांक 01.04.2011 की प्रभावी तिथि से पंजीकरण संख्या (यू०आर०एन०) 104 के अन्तर्गत दिनांक 28.05.2015 को विद्वान आयकर आयुक्त, लखनऊ के आदेश द्वारा किया गया है। उपरोक्त मामले में अपर आयकर आयुक्त/आयकर अधिकारी के पत्र सं० F.No. JT.CIT(Ex.)/12A/80G/Lko/2015-16 दिनांक 24.11.2015 में संस्था/न्यास को 80 जी का अनुमोदन देने की सिफारिश की है। उपरोक्त ट्रस्ट का पंजीकरण दिनांक 28.12.2015 की प्रभावी तिथि से विद्वान आयकर आयुक्त, (छूट), लखनऊ के आदेश द्वारा किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मेधा लर्निंग फाउण्डेशन, 407, डॉ० बैजनाथ रोड, न्यू हैदराबाद, लखनऊ, (उ०प्र०), को दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(vi) में दिये गये शर्तों को पूरा करने पर आयकर अधिनियम 1961 की 80G (V) के अन्तर्गत कटौती के लिए योग्य होगा।

2. यह अनुमोदन दिनांक 28.12.2015 की प्रभावी तिथि से लगातार उस अवधि तक वैध माना जाएगा जब तक विशेष रूप से इसे वापस न ले लिया जाए।

(i) जिस निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में यह ट्रस्ट/संस्थान का केस आता है, उसके कार्यालय में आय एवं व्यय खाता, प्राप्त रसीद एवं भुगतान का विवरण तथा तुलनपत्र (बैलेंस सीट) सहित आई.टी.आर.-7 में आयकर विवरणी प्रत्येक वर्ष दाखिल की जानी होगी।

(ii) आधोहस्ताक्षरी आयकर आयुक्त (छूट), लखनऊ के पूर्व अनुमोदन के बिना ट्रस्ट डीड/प्रलेख (Memorandum of Association) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(iii) दानदाता को जारी की गई प्रत्येक रसीद में विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यू०आर०एन०) एवं आदेश की तिथि अवश्य अंकित की जानी होगी। धारा 80G (V)(vi) के प्रावधानों के अन्तर्गत 12ए, धारा 12ए(1)(बी) में पंजीकृत अथवा धारा 10(23C), 10(23C)(via) के अन्तर्गत अनुमोदित संस्थान/फंड, संस्थान में चलाई जा रही किसी भी व्यापारिक गतिविधि से संबंधित खाता बही का अलग से रख-रखाव करेंगे तथा ऐसी गतिविधि को आरंभ करने से संबंधित सूचना इस कार्यालय को एक माह भीतर अवश्य की जाएगी।



(पी०के० बजाज)  
आयकर आयुक्त (छूट),  
लखनऊ।

फा0सं0: आ0आ0(छूट)/लख0/80जी/2015-16 /763/7813

दिनांक:- 28.12. 2015

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (छूट), रेंज लखनऊ।

2. आयकर उप/सहायक आयुक्त (छूट), सर्किल लखनऊ।

3. आयकर अधिकारी(छूट), लखनऊ को इस आशय के साथ कि संस्था/न्यास को धारा 80जी के अन्तर्गत अनुमोदन मात्र ही संस्था/न्यास का धारा 80जी के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्था/न्यास द्वारा दाखिल विवरणी तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुंचना है कि संस्था/न्यास कटौती के लिए वांछित सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं, यदि संस्था/न्यास भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80जी तक निहित सभी वांछित शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो इसे कटौती उपलब्ध नहीं होगी तथा धारा 80जी के अन्तर्गत उसका अनुमोदन रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

4. आवेदक।



*(Handwritten Signature)*

(इजहार हुसैन)  
आयकर अधिकारी(मु0)  
कार्यालय आयकर आयुक्त(छूट),  
लखनऊ।